अपील सूचना अधिकार संख्या 14/2017 अनवानी मलकीत सिंह चहल (पत्रकार) निवासी वार्ड न0 9, वेयर हाउस रोड, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

14–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मलकीत सिंह चहल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मलकीत सिंह चहल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

> सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की और से संचालित डा0 अम्बेडर (अनुसूचित जाति) छात्रावास के वर्ष 2014–15, 2015–16 व 2016–17 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण की तिथी एवं आवासीय छात्रावास में किसी प्रकार की कमियां या सुधार पाया गया कि पत्रावली की छाया प्रति।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम की पालना के लिए पाबन्द किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ ने अपने प्रतिवेदन संख्या 418 दिनांक 06.03.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 22.12.2016 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 179 दिनांक 19.01.2017 के द्वारा प्रेषित कर दी गई थी। अपीलार्थी भी दिनांक 01.03.17 को उनके कायालय में उपस्थित आया था। उसे उपलब्ध करवाई सूचना से वह सन्तुष्ट है। इस संबंध में अपीलार्थी के प्रा0 पत्र की प्रति भी प्रेषित की है।

उपजिला कलक्टर, अनूपगढ ने पत्र सं0 179 दिनांक 19.01.17 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित राजकीय अम्बेडकर (अनुसूचित जाति) छात्रावास में वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 की निरीक्षण रिपोर्ट चाही गई है।
>
> इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष से पूर्व मे इस कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर संचालित राजकीय अम्बेडकर (अनुसूचित जाति) छात्रावास के निरीक्षण बाबत कोई आदेश नही होने के कारण निरीक्षण नही किया गया है। वर्ष 2016–17 में नायब तहसीलदार अनूपगढ द्वारा किये गये निरीक्षण की प्रति भिजवाई जा रही है।

उपजिला कलक्टर, अनूपगढ के उक्त प्रतिवेदन के साथ प्राप्त अपीलार्थी के प्रा0 पत्र दि0 01.03.2017 की प्रति अनुसार उसके द्वारा चाही गई सूचना दिनांक 01.03.17 को प्राप्त हो गई है, जिससे वह सन्तुष्ट है और पत्रावली को दाखिल दफतर करने की प्रार्थना की है।

चूंकि अपीलार्थी के उक्त आवेदन पत्र अनुसार उसके द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त हो गई है जिससे वह सन्तुष्ट है और अब अपील पर आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 14.6.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर